पेपर लीक मामले में सरकारी कर्मचारियों समेत 12 आरोपियों पर इनाम घोषित

- **जेईएन पेपर लीक के मास्टरमाइंड यूनिक उर्फ पंकज भांबू पर एसओजी ने 1 लाख रुपए का इनाम की घोषणा की है।**
- **इसके साथ ओमप्रकाश ढाका पर 75 हजार का इनाम घोषित किया गया है।**

जयपुर। प्रदेश में पेपर लीक गैंग की जांच कर रही एसओजी ने शनिवार को फरार चल रहे सरकारी कर्मचारी सहित 12 आरोपियों पर इनाम घोषित किया है। वहीं, जेईएन पेपर लीक के मास्टरमाइंड यूनिक उर्फ पंकज भांबू पर एसओजी ने 1 लाख रुपए का इनाम की घोषणा की है। इसके साथ ओमप्रकाश ढाका पर 75 हजार का इनाम घोषित किया गया है।

वहीं, पेपर लीक और डमी बनकर पेपर देने वाले पोरव कालेर, हनुमान मीणा, शैतानराम विश्वोई, सम्मी उर्फ छम्मी पत्नी गणपत राम विश्वोई, रिंकू और विनोद कुमार रेवाड पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। इनके अलावा भंवर लाल, दीपक राहड, वर्षा विश्नोई और सुनील बेनीवाल पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। शैतानराम जोधपुर कमिश्नरेट में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। सम्मी उर्फ छम्मी बाडमेर में सरकारी अध्यापिका है। वर्षा विश्नोई जोधपुर में सरकारी स्कूल में अध्यापिका है।

एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि पेपर लीक मामले में एसओजी ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में जो लोग फरार चल रहे हैं, उनके खिलाफ इनाम घोषित किया गया है। एक दो दिन में और लोगों के खिलाफ भी इनाम की घोषणा की जाएगी।

वीके सिंह ने बताया कि यूनिक उर्फ पंकज भांबू की लंबे समय से एसओजी को तलाश है, इसलिए पर उस सबसे अधिक इनाम की घोषणा की गई है। इनमें कुछ आरोपी वो भी हैं, जिन्होंने कैंडिडेट की जगह डमी बैठकर परीक्षा दी थी। एसओजी की कार्रवाई के बाद ये लोग फरार हो गए। इसमें कुछ सरकारी कर्मचारी भी हैं।

यूनिक चूरू की पूनिया कॉलोनी का रहने वाला है। उसका परिवार मूलत: झुंझुनूं के मंडावा में धीरासर गांव का है। यूनिक के पिता जगदीशचंद भांबू भी शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हैं। उनकी पोस्टिंग चूरू में ही थी। इसीलिए परिवार चूरू आकर रहने लग गया था। यूनिक को वनपाल परीक्षा पास करने के बाद 21 अगस्त 2023 में पोस्टिंग मिली। इसके बाद वह चूरू से अलवर चला गया था। अलवर में ही उसने जॉइन की थी। अलवर में उसकी ट्रेनिंग भी चल रही थी। यूनिक की पत्नी और भाई भी सरकारी नौकरी में हैं।

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में शनिवार को बेजुबान पक्षियों के लिए गर्मी के मौसम में अधिवक्ताओं द्वारा परिंडे लगाए गए। इस नेक कार्य में राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा की उपस्थिति रही।

जयपर में शनिवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हुई। मौसम में हुए बदलाव के कारण पिछले चार-पांच दिन से पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली।

वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति नहीं देने पर जवाब मांगा

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2022 में निकाले गए पदों को नहीं भरने और खाली चल रहे पदों पर वेटिंग लिस्ट से नियुक्तियां नहीं देने पर शिक्षा विभाग और आरपीएससी से जवाब तलब किया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश धर्मेश काछवाल की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 28 अप्रैल, 2022 को भौतिक विज्ञान सहित 26 विषयों के स्कूल व्याख्याता पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे। भर्ती में भौतिक विज्ञान के 82 पद थे। आयोग ने भर्ती परीक्षा का परिणाम 10 अगस्त 2023 को आया और उसमें याचिकाकर्ता वेटिंग लिस्ट में आया था। याचिका में बताया गया कि मूल सूची में से कई अभ्यर्थियों ने पद पर ज्वाइन ही नहीं किया। ऐसे में वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को नियुक्तियां दी जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता वेटिंग लिस्ट में पहला स्थान है। भर्ती के कई पद अभी भी खाली हैं।

पिछली कांग्रेस सरकार ने विकास कार्यों पर नहीं दिया ध्यान, भ्रष्टाचार में ही डूबी रही : भजनलाल

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर विधानसभा कार्यकर्ताओं की बैठक ली**

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने विकास कार्यों में बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया, केवल भ्रष्टाचार में ही डूबी रही। इसलिए आज हर विधानसभा में विकास कार्यों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को अपने आवास पर विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के प्रमुख कार्यकर्ताओं की आयोजित बैठक में यह बात कही। बैठक में 39 वार्डों के पार्षद एवं पार्षद प्रत्याशी 5 मंडल अध्यक्ष एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से एक विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता रहती है, राजस्थान की भाजपा सरकार उस दिशा में काम कर रही है, निश्चित रूप से किसी भी विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं का अभाव नहीं रहेगा। भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश की सरकार ने विकास की गति पकड़ ली है। शुरुआती दिनों में ही विकास कार्य को ध्येय मानते हुए कार्य किए। उसकी चर्चा सभी ओर है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सांगानेर विधानसभा में सभी विकास कार्यों को लेकर सुझाव दें और जहाँ भी विकास की ज़रूरत है चाहे पानी, बिजली, सीवरेज, सेक्टर रोड, सड़कें, अस्पताल, हर घर नल या बारिश के पानी का जमाव की बात हो, उसमें निश्चित रूप से सुधार किया जाएगा और सांगानेर के साथ साथ प्रदेश में विकास के नये आयाम स्थापित होंगे।

बैठक में प्रमुख रूप से महापौर सौम्या गुर्जर, श्रीप्रकाश तिवाड़ी अभय पुरोहित, नवरत्न नरानियाँ, अशोक रावतानी, राजेन्द्र खरबास, जगदीश चंद्रावत, ओमप्रकाश शर्मा, अशोक यादव, निर्मल शर्मा भंवर लील आदि प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे।

रिटायर्ड आई.ए.एस. यदुवेन्द्र माथुर का चैन्नई में निधन

जयपुर (कासं)। राजस्थान कैडर के 1986 बैच के रिटायर्ड आई.ए.एस. ऑफिसर यदुवेन्द्र माथुर का शनिवार को चैन्नई में निधन हो गया। वे करीब 65 वर्ष के थे। चैन्नई स्थित एक अस्पताल में हार्ट सर्जरी के दौरान शनिवार शाम करीब सवा 5 बजे यदुवेन्द्र माथुर ने अंतिम सांस ली। वे अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। जानकारी के मुताबिक स्व. माथुर की पार्थिव देह चैन्नई से जयपुर लाई जा रही है। जयपुर में जवाहर लाल नेहरू मार्ग स्थित ज्वैल्स ऑफ इंडिया अपार्टमेंट में उनका आवास है। यहीं से स्व. यदुवेन्द्र माथुर की अंतिम यात्रा स्थानीय मोक्षधाम तक निकाली जायेगी।

ज्ञात रहे कि स्व. यदुवेन्द्र माथुर वर्ष 2017 में केन्द्रीय नीति आयोग के सचिव पद से सेवानिवृत हुए थे। वे करीब 3 वर्ष तक केन्द्रीय वित्त मंत्रालय में एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक भी रहे। इससे पूर्व में माथुर ने राजस्थान वित्त निगम जयपुर के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक तथा राजस्थान राजस्व आसूचना विभाग के डायरेक्टर जनरल के पद पर भी सेवाएं दी। राजस्थान वित्त विभाग के सचिव और प्रमुख सचिव के पद पर भी उनकी सेवाएं सराहनीय रहीं। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में राजस्थान कैडर के 1986 बैच के टॉपर थे। उनके निधन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों ने गहरा शोक जताया है।

'रेलवे आठ लाख रुपए अदा करे'

जयपुर। रेलवे दावा न्यायाधिकरण ने ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत के मामले में पश्चिम -मध्य रेलवे को आदेश दिए हैं कि वह मृतक के परिजनों को आठ लाख रुपए की राशि बतौर क्षतिपूर्ति अदा करे। न्यायाधिकरण ने इस राशि पर 9 फीसदी ब्याज भी अदा करने को कहा है। न्यायाधिकरण ने यह आदेश अल्लाबंदा व जरीना के क्षितपूर्ति दावे पर सुनवाई करते हुए दिए।

दावे में अधिवक्ता हरिशंकर गौड़ ने न्यायाधिकरण को बताया कि दावाकर्ता का बेटा शाहरुख अपने चाचा के साथ 14 मार्च, 2020 को नागपुर से बनस्थली, निवाई के लिए बिलासपुर-भगत की कोठी ट्रेन में टिकट लेकर बैठा था। ट्रेन के 15 मार्च की शाम सवाई माधोपुर पहुंचने पर शाहरुख बाथरूम की ओर गया। यहां ट्रेन की गैलेरी में हाथ धोने के दौरान झटका लगने और यात्रियों के दबाव के चलते वह चलती गाडी से नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दावे में कहा गया कि गाडी चलने के दौरान झटके लगने के कारण वह नीचे गिरा था।

करोना काल में कार्यरत कार्मिकों को बोनस अंक नहीं देने पर मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियन भर्ती-2023 में कोविड अवधि में कार्यरत कार्मिकों को बोनस अंक का लाभ नहीं देने के मामले में चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और संबंधित सीएमएचओ से जवाब तलब किया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश वीरेन्द्र कुमार व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर ने 21 मई, 2023 को लैब टेक्नीशियन के पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। विज्ञापन में शैक्षिणक परीक्षा व व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त अंकों व अनुभव आधारित बोनस जोडकर वरीयता के आधार पर चयन करने का प्रावधान बताया था। भर्ती विज्ञापन में यह भी बताया गया था कि राज्य सरकार के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों व विभिन्न योजनाओं में समान पद पर कार्य करने वाले कार्मिको को भी बोनस अंकों का लाभ दिया जाएगा। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने आवेदन के साथ कार्य अनुभव प्रमाण पत्र भी पेश किया। वहीं उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, लेकिन वरीयता निर्धारण करते समय कोविड अवधि के दौरान उसकी ओर से किए गए कार्य के बोनस अंक नहीं जोडे गए। जिसे चुनौती देते हुए कहा गया कि चिकित्सा विभाग ने 25 अप्रैल, 2023 को आदेश जारी कर कोविड के दौरान विभिन्न चिकित्सा सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों को विशेष परिस्थिति में कार्य करने के आधार पर अधिकतम तीस अंक बोनस देना तय किया था, लेकिन इस आदेश के तहत केवल नर्सिंग ऑफिसर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को ही बोनस अंक दिए गए। लैब टेक्नीशियन पद पर कार्यरत कार्मिकों को विशेष बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया।

हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी करने वाले एडीजे का मामला सीजे को भेजा

जयपुर। प्राणघातक हमले से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी व अनादर कर आरोपी को जमानत देने वाले सेशन न्यायालय अजमेर के एडीजे का मामला हाईकोर्ट ने सीजे को भेज दिया है। वहीं आरोपी सेठू उर्फ अंग्रेज को एडीजे की ओर से दी गई जमानत को भी रद्द कर दिया। जस्टिस उमाशंकर व्यास ने यह आदेश आरोपी के नियमित जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस कोर्ट ने 16 नवंबर 2022 को सेतू उर्फ हड्डी के जमानत आदेश में स्पष्ट रूप से निष्कर्ष दिया था कि आहत पप्पू के प्राणाघातक चोटें सेठू उर्फ अंग्रेज ने ही पंहुचाई थी। लेकिन सेशन न्यायालय अजमेर के लिंक अधिकारी ने 19 दिसंबर 2022 के आदेश में हाईकोर्ट के आदेश की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए उसके विपरीत आदेश दिया है। वहीं उसे अनुचित तौर पर जमानत का लाभ दिया है। विशेष लोक अभियोजक संजीव महला ने बताया कि प्राणघातक हमले के मामले में दो आरोपी सेठू उर्फ अंग्रेज व सेतू उर्फ हड्डी थे। हाईकोर्ट ने सेतू उर्फ हड्डी को जमानत देते समय माना था कि सेठू उर्फ अंग्रेज ही मुख्य आरोपी है। लेकिन सेठू उर्फ अंग्रेज ने सेशन न्यायालय के समक्ष खुद की बजाय सेतू उर्फ हड्डी को ही मुख्य आरोपी बताया और हाईकोर्ट के आदेश व तथ्यों को छिपाकर जमानत ले ली। गलत तरीके से मिली इस जमानत को रद्द करवाने के लिए शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया था।

आयुर्वेद विभाग के अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक

- **सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद डॉक्टर्स को 62 साल तक काम करते रहने देने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना पर निर्णय दिया**
- **संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर 15 जुलाई को सुनवाई तय की है**

जयपुर, (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद डॉक्टर्स को 62 साल तक काम करते रहने देने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना के मामले में आयुर्वेद विभाग के संबंधित अफसरों के खिलाफ आगामी सुनवाई तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है। वहीं मामले में संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर 15 जुलाई को सुनवाई तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार व आयुर्वेद विभाग के अफसरों की एसएलपी पर दिए।

एसएलपी में हाईकोर्ट की खंडपीठ के गत 28 फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें खंडपीठ ने आयुर्वेद डॉक्टर्स को भी एलोपैथी डॉक्टर्स के समान 62 साल तक की उम्र तक कार्य करते रहने का निर्देश दिया था। इसके अलावा खंडपीठ के आदेश की पालना नहीं करने पर संबंधित अफसरों के खिलाफ 20 अप्रैल को लिए गए अवमानना के स्वप्रेरित प्रसंज्ञान व शपथ पत्र के जरिए स्पष्टीकरण देने वाले को भी चुनौती दी है। मामले के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 28 फरवरी को आदेश जारी कर 60 साल की उम्र में रिटायर किए जा रहे आयुर्वेद डॉक्टर्स को राहत देते हुए उन्हें 62 साल तक काम करने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने आदेश का पालन करने की बजाय याचिकाकर्ता आयुर्वेद डॉक्टर्स को 60 साल में ही हटा दिया। जिस पर याचिकाकर्ताओं ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि उन्हें हटाना आदेश की अवमानना है। जिस पर खंडपीठ ने टोंक व प्रतापगढ के डिप्टी आयुर्वेद निदेशक सहित अन्य अफसरों के खिलाफ अवमानना का स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए उन्हें हाजिर होकर यह स्पष्टीकरण देने के लिए कहा कि उन्होंने आदेश का पालन क्यों नहीं किया। हाईकोर्ट की इस कार्रवाई को राज्य सरकार व अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

हैड कांस्टेबल को सजा

जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने 13 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में झुंझुनूं जिले के मुकुंदगढ़ थाने के तत्कालीन हेड कांस्टेबल खुर्शीद अहमद को दो साल छह माह की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि मुकुंदगढ़ के ग्राम डूमरा निवासी कुलदीप ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि खेत की सीमा को लेकर ताऊ के परिवार से झगडा हो गया था। इस पर ताऊ के बेटे ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसकी जांच हैड कांस्टेबल खुर्शीद अहमद के पास थी। जांच अधिकारी खुर्शीद ने उसकी मां को गिरफ्तार करने की धमकी देकर 5500 रुपए की रिश्वत मांगी।। इसके बाद सौदा 3500 रुपए में तय हुआ। जब परिवादी ने थाने जाकर दो हजार रुपए देने चाहे तो हैड कांस्टेबल ने पूरी राशि लाने को कहा। रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों पक्षों में राजीनामा होकर विवाद समाप्त हो गया है। इसके बावजूद भी जांच अधिकारी रिश्वत मांग रहा है।

बीमा कंपनी पर हर्जाना लगाया

जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन का क्लेम नहीं देने पर बीमा कंपनी टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 22 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। आयोग ने वाहन की मरम्मत में खर्च हुए 2.98 लाख रुपए परिवाद पेश करने की तिथि से 9 फीसदी ब्याज सहित लौटाने को कहा है।

रेलवे स्टेशन पर शनिवार को अध्यापकों के लिये प्री परीक्षा (रीट) के अभ्यार्थियों की भीड़भाड़ दिखाई दी।

नम्बर मिलाइए
9587884433

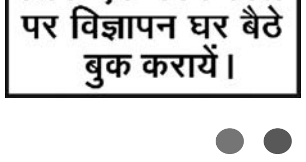

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना: सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं बजरंग सिंह राजावत पुत्र मूल सिंह राजावत निवासीः प्लाट नं. 100, भृगु नगर, अजमेर रोड़, जयपुर का हूँ। मेरा बेटा मालू सिंह राजावत व उसकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रियंका काफी झगडालू किस्म के लोग हैं, आये दिन यह लोग मेरे व मेरी पत्नी श्रीमती मंजू कंवर से झगडा करते रहते हैं व मेरा बेटा व पुत्रवधू मेरे कहने में नहीं है उक्त कारण से मैं अपने पुत्र व उसके परिवार को अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूँ।
दिनांक: 04-05-2024 जरिये शपथकर्ता: बजरंग सिंह राजावत

खोया पाया

मेरे आवास 12/83 फर्स्ट फ्लोर, मालवीय नगर, जयपुर की मूल विक्रय पत्र (Original Sale Deed registry) मानसरोवर के आस पास कहीं गिर गई है जो कि आवासन मण्डल द्वारा मनोज तोतलानी पुत्र स्व. श्री एल.ए. तोतलानी के नाम से रजिस्टर्ड है कृपया मिलने पर सूचित करें-9829843439

मेरा प्लाट नं. 282 रामेश्वर धाम एन चाकसू की रजिस्ट्री जो कि राकेश कुमार केडिया के नाम से कहीं गुम हो गए है मिलने पर सूचित करें-विमला देवी-9928818893

मेरे मकान 1-घ-17 नाहरी का नाका जयपुर के मूल दस्तावेज आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, डिक्लेशन नाहरी का नाका जयपुर में कहीं गिर गये है। मिलने पर सूचित करें-बाबूलाल 8561008843

नाम परिवर्तन

मैं अतुल सेजवानी पुत्र श्री गोपाल दास निवासी 5-छ-14 सेक्टर-5 जवाहर नगर जयपुर। मैंने अपना नाम अतुल कुमार से बदलकर अतुल सेजवानी रख लिया है। भविष्य में मुझे अतुल सेजवानी के नाम से जाना जाये।

मैंने अपना नाम सुरेन्द्र कुमार खण्डेलवाल से बदलकर सुरेन्द्र खण्डेलवाल पुत्र श्री राम गोपाल खण्डेलवाल रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना/पहचाना जाये। निवासी-प्लाट नं.9, बाल निकुंज दौलत विहार, अम्बाबाडी, जयपुर, राजस्थान

मैं जै.सी.-292138-डब्ल्यू नायब सूबेदार राजीव कुमार पता ग्राम-हरपुर, पोस्ट-बरोलिया, जिला-दरभंगा, बिहार मेरे सर्विस रिकाई में पिता का जन्म तिथि 01.07.1950 है जो गलत है सही जन्मतिथि 01.01.1953 है शपथ पत्र संख्या 0025720260 दिनांक 06.04.2024

मैं जै.सी.-292138-डब्ल्यू नायब सूबेदार राजीव कुमार पता ग्राम-हरपुर, पोस्ट-बरोलिया, जिला-दरभंगा, बिहार मेरे सर्विस रिकार्ड में माता का जन्म तिथि 01.07.1954 है जो गलत है सही जन्मतिथि 01.01.1958 है शपथ पत्र संख्या 0025720261 दिनांक 06.03.2024

आम सूचना

श्री विद्यासागर गुप्ता पुत्र श्री हरप्रसाद अग्रवाल के नाम से जारी प्लॉट नं. 19 एवं 20 योजना कृषि नगर बी-प्रथम टोंक रोड, जयपुर (बाबा आर.एन. गौड़ गृ.स.स.लि.) तथा श्रीमती रचना गुप्ता पत्नी श्री देवेन्द्र गुप्ता के नाम से जारी प्लॉट नं. 4 कृषि नगर बी-प्रथम, टोंक रोड, जयपुर (बाबा आर.एन. गौड़ गृ.स.स.लि.) का मूल आवंटन पत्र, शुल्क रसीद, साइटट प्लान, एवं स्टाम्प कहीं गुम हो गए हैं। मिलने पर संपर्क करें- श्री देवेन्द्र गुप्ता, मो.नं. 9414044014, निवासी ए-1, नटराज नगर, इमली फाटक, जयपुर-302015 से संपर्क करें।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य आदित्य पाल सिंह पुत्र श्री आर के वर्मा उम्र 49 वर्ष निवासी फ्लेट नंबर 167 होम अपार्टमेंट सेक्टर 15 पार्ट 2 गुडगांव हरियाणा की माताजी श्रीमती संतोष कुमारी के स्वामित्व का एक प्लाट निजी आवासीय योजना वाटिका इन्फोटेक सिटी अजमेर रोड जयपुर में स्थित है, जिसका प्लॉट नंबर सेंट्रल पार्क/पाम बुलेवार्ड/द्वितीय लेन/13 उत्तर मुखी है एवं जिसका कुल क्षेत्रफल 294.06 वर्गमीटर है। मेरे अभिभाष्य की माता श्रीमती संतोष कुमारी का दिनांक 27.05.2021 को स्वर्गवास हो चुका है, श्रीमती संतोष कुमारी की मृत्यु के पश्चात उनके विधिक उत्तराधिकारियों मे उनके पति राजकुमार वर्मा उनकी दो पुत्रियां रितु रोहिल्ला एवं श्रीमती आशिमा तथा एक पुत्र आदित्य पाल सिंह (मेरे अभिभाष्य) जीवित हैं, मृतका श्रीमती संतोष कुमारी के अन्य सभी विधिक उत्तराधिकारियों ने उक्त वर्णित संपति का हक त्याग जरिए रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 29.06.2022 के द्वारा मेरे अभिभाष्य के पक्ष में कर दिया है इस प्रकार उक्त वर्णित संपति का मेरा अभिभाष्य एकमात्र मालिक व स्वामी हो गया है उपरोक्त वर्णित प्लॉट का स्थानांतरण मैसर्स वाटिका इन्फोटेक सिटी द्वारा मेरे अभिभाष्य के हक में किया जाना प्रस्तावित है यदि किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति मैसर्स वाटिका इन्फोटेक सिटी अजमेर रोड जयपुर को प्रस्तुत कर सकते है बाद गुजरने मियाद कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी, जो कृपया सूचित रहे।
बीएम गुर्जर, कमल किशोर मीणा, एडवोकेट
मो. 9414456277, 9314258578

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिकी पथ क्र. सं. 4, जयपुर महानगर - द्वितीय
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया विरुद्ध मैसर्स स्टाईल स्पॉट
वाद-बाबत वसूली वाद सं. 66/20/201 CIS 680/19
बनाम :- बलविन्दर सिंह चावला पुत्र अवतार सिंह चावला प्रोपरायटर मैसर्स स्टाईल स्पॉट- प्लॉट नम्बर 15, वृन्दावन कॉलनी, खातिपुरा रोड, झोटवाड़ा, जयपुर-302012
बनाम:- मैसर्स स्टाईल स्पॉट जरिए प्रोपरायटर बलविन्दर सिंह चावला पुत्र अवतार सिंह चावला, शॉप नम्बर 105, क्रिस्टल कोर्ट, रॉयल बाजार, मालवीय नगर, जयपुर- 302017
बनाम:- मैसर्स स्टाईल स्पॉट जरिए प्रोपरायटर बलविन्दर सिंह चावला पुत्र अवतार सिंह चावला, शॉप नम्बर 02, बड़ी मार्केट, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर- 302020
वादी ने आपके विरूद्ध वाद बाबत वसूली के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में दिनांक 26.07.2024 को दिन में 10:30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा, या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो, अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह आज दिनांक 29 माह 04 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।
न्यायालय वाणिज्यिक न्यायालय क्र. सं. 4 जयपुर

150 04.5.24
अपील की सुनवाई के लिये नियत दिन की प्रत्यर्थी को सूचना
(आदेश 41 के नियम 14)
नाम न्यायालय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश क्रम-3 जयपुर महानगर प्रथम
हेम करण विरूद्ध बाबूलाल
अपील CRA
अपील न. CRA-01/24 DH-30-5-24
.... के न्यायालय की तारीख............
को ....की अपील
नाम: अर्जुनलाल मीणा पुत्र कालूराम मीणा जाति..
स्थान: निवासी मीणो की ढाणी जोडला पावर हाऊस के सामने सीकर रोड जयपुर
आपको सूचना दी जाती है कि इस मामले में अपीलार्थी की डिक्री की अपील नकल सलंगन है द्वारा उपस्थित की गई है और इस न्यायालय मे रजिस्टर कर ली गई है और इस अपील की सुनवाई के लिए इस न्यायालय द्वारा ता. DH-30-5-24, 8:00 AM नियत की गई है।
यदि इस अपील मे आपकी ओर से आप स्वयं या आपके प्लीडर या आपके लिये कार्य करने के लिये विधिना प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपसंजात नही होगा तो यह आपकी अनुपस्थिति मे सुनी और विनिश्चित की जावेगी।
यह आज तारीख 04 माह 5 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
वरिष्ठ रीडर
मोहर अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-3 जयपुर महानगर प्रथम

150 04.5.24
अपील की सुनवाई के लिये नियत दिन की प्रत्यर्थी को सूचना
(आदेश 41 के नियम 14)
नाम न्यायालय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश क्रम-3 जयपुर महानगर प्रथम
हेम करण विरूद्ध बाबूलाल व अन्य
अपील CRA
अपील न. CRA-01/24 DH-30-5-24
.... के न्यायालय की तारीख............
को ....की अपील
नाम: बाबूलाल शर्मा पुत्र नामालुम जाति.........
स्थान: केयर ऑफ मालीराम मीणा ग्राम पोस्ट बेनाड, बेनाड रोड जयपुर
प्लाट नं. 24 प्रभात कॉलोनी मुरलीपुरा जयपुर
आपको सूचना दी जाती है कि इस मामले में अपीलार्थी की डिक्री की अपील नकल सलंगन है द्वारा उपस्थित की गई है और इस न्यायालय मे रजिस्टर कर ली गई है और इस अपील की सुनवाई के लिए इस न्यायालय द्वारा ता. DH-30-5-24, 8:00 AM नियत की गई है।
यदि इस अपील मे आपकी ओर से आप स्वयं या आपके प्लीडर या आपके लिये कार्य करने के लिये विधिना प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपसंजात नही होगा तो यह आपकी अनुपस्थिति मे सुनी और विनिश्चित की जावेगी।
यह आज तारीख 04 माह 5 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
वरिष्ठ रीडर
मोहर अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-3 जयपुर महानगर प्रथम

कार्यालय उपायुक्त सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज
क्रमांक- एफ-56( ) सि.ला.जो./ननिज/2024/201 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-01.05.2024
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे लिखे गये व्यक्ति द्वारा जोन में संधारित योजना में नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। इस नाम हस्तान्तरण बाबत कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन तिथि से 07 दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदानुसार निपटारा किया जायेगा।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	आवेदन स्थल का पता	आवेदित क्षेत्रफल
1	दया गुप्ता	सतीश चन्द गुप्ता	दुकान संख्या बी-71 कालवाड स्कीम गोपाल बाडी जयपुर	22.22 व.ग.
2	दया गुप्ता	सतीश चन्द गुप्ता	दुकान संख्या बी-72 कालवाड स्कीम गोपाल बाडी जयपुर	22.22 व.ग.

उपायुक्त, सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज